बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं० – 15/औ०–30–13/2024–................../स्वा० पटना, दिनांक – 2026

श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एवं 02 सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के द्वारा GPF एवं Group Insurance आदि के भुगतान के साथ–साथ Civil Procedure Code 1908 की धारा–80 के तहत् Consequential Benefit नहीं प्रदान करने के कारण हर्जाना की राशि भुगतान हेतु दिनांक–16.07.2024 एवं 19.07.2024 को विभाग में आवेदन/अभ्यावेदन समर्पित किया गया श्री सिंह के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है–

2.श्री अवधेश कुमार सिंह के विरूद्ध आय से अधिक प्रत्यानुपातिक धनोपार्जन के आरोप में वर्ष 2006 में निगरानी टीम के द्वारा श्री सिंह के पटना स्थित आवास फ्लैट नं०–305, संतोषा कॉम्पलेक्स, बंदर बागीचा, पटना–800001 में छापेमारी की गयी एवं सुसंगत धाराओं के अधीन निगरानी थाना काण्ड संख्या–38/2006 दर्ज करते हुए श्री सिंह को दिनांक–28.07.2006 को गिरफ्तार कर, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–855(15), दिनांक–19.08.2006 द्वारा न्यायिक हिरासत में लिए जाने की तिथि–28.07.2006 से श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन अनुज्ञापन पदाधिकारी, गया नगर निगम क्षेत्र, गया को निलंबित किया गया और न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा होने के उपरांत उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से विभागीय अधिसूचना संख्या–1109 (15) दिनांक–16.10.2006 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए योगदान स्वीकृत किया गया।

3.श्री सिंह के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के गंभीर आरोप एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–1177 (15), दिनांक–04.11.2006 द्वारा उन्हें पुनः निलंबित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या–1331(15), दिनांक– 11. 12.2006 द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4.संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) की समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध अनुज्ञप्तियों के निर्गमन में बरती गयी अनियमितता, सरकार के निर्देशों के विरूद्ध अनधिकृत कार्य करने, गलत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने, निम्न स्तरीय औषधियों के संबंध में कार्रवाई नहीं करने, निलंबन अवधि में अनधिकृत कार्य करने के दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–616(15), दिनांक–19. 04.2007 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

(क) निन्दन की सजा

(ख) संचयात्मक प्रभाव से पॉच वेतन वृद्धि पर रोक।

(ग) निलंबन अवधि (हिरासत की अवधि को छोडकर) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं।

श्री सिंह के द्वारा उक्त दण्ड/शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–4718/2007 दायर की गयी।

5.उक्त दायर याचिका के आलोक में विद्वान स्टैण्डिंग कॉउन्सिल–17, माननीय उच्च न्यायालय, पटना का निम्नवत् मंतव्य प्राप्त हुआ –

"In my considered opinion the order of punishment shoud be withdrawn and after recording reasons for differeing from the inquiry report he should be served a copy of both, and then asked to show cause as to why major penality be not awarded to him. Upon the showcause if any, received from him, the Department should consider the show cause and then proceed to pass appropriate order of either exonerating him or awarding suitable punishement."

6.स्टैण्डिंग कॉउन्सिल के उक्त मंतव्य के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–616(15), दिनांक–19.04.2007 द्वारा अधिरोपित उपर्युक्त दण्ड/शास्ति की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उपर्युक्त दण्ड वृहद श्रेणी के अंतर्गत है एवं इस हेतु श्री सिंह से द्वितीय कारणपृच्छा किया जाना अपेक्षित था। फलतः विभागीय अधिसूचना संख्या–992(15), दिनांक–28.06.2007 द्वारा उपर्युक्त अधिरोपित दण्ड को स्थगित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया एवं विभागीय पत्रांक–1227(15), दिनांक–09.08.2007 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

7.श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक–220, दिनांक–07.09.2007 के माध्यम से कारण पृच्छा प्रत्युतर समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्यतुर एवं जॉच प्रतिवेदन (अधिगम) पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–616(15), दिनांक–19.04.2007 द्वारा अधिरोपित दंड को विभागीय अधिसूचना संख्या–578(15), दिनांक–06.04.2011 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से यथावत् रखा गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–9696/2011 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–27.06.2013 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है –

"After some argument Mr. S.K. Ghose, learned Senior Counsel appearing for the petitioner, on instructions, seeks permission to withdraw the writ application to enable the petitioner to file departmental appeal against the impugned order of punishment. Learned counsel for the State has no objection. Considering the submissions of the petitioner, writ application is permitted to be withdrawn to enable the petitioner to file departmental appeal against the impugned order of punishment. In case such appeal is filed within a period of thirty days from today, the question of limitation, if any, may not come into the way in deciding the appeal on merits."

The writ application accordingly stands dismissed as withdrawn."

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री सिंह द्वारा दिनांक–08.07.2013, दिनांक–22.05. 2014 एवं दिनांक–23.05.2015 को विभाग में अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री

सिंह के अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय पत्रांक–535(15), दिनांक–31.08.2015 द्वारा उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अभ्यावेदन को अस्वीकृत किये जाने के उपरांत श्री सिंह द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–1003/18 दायर किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 03.10.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है –

" In the light of the above discussion, this court is of the firm opinion that in the said departmental proceeding, there are gross violation of Rules 17 (3) and 18 (2) of the CCA Rules, 2005 and, subsequently, the violation of these principles laid down in those judgments that all the orders i.e., order of issuance of second show cause, order of punishment and order of review all are bad in law and, therefore, all those orders and letters contained in Letter No.535(15) dated 31.08.2015, Notification No.578 (15) dated 06.04.2011 and Memo of charge dated 11.02.2006 are hereby set aside."

उक्त न्यायादेश के उपरांत श्री सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में अवमाननावाद सं–1217/2024 एवं विभाग द्वारा Civil Review No.–87/2025 दायर किया गया।

8.उल्लेखनीय है कि इस बीच वर्ष 2018 में श्री सिंह को औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एवं 02 के पद पर कार्यरत रहने के दरम्यान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक–28.11.2018 को 60,000/–(साठ हजान रूपये मात्र) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया एवं निगरानी विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में नियमानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–1767(15), दिनांक–29.12.2021 द्वारा श्री सिंह के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने हेतु श्री सिंह के द्वारा दिनांक–23.06.2023 को विभाग में एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिस पर सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा उनके अभ्यावेदन को विभागीय आदेश संख्या–609(15), दिनांक–08.08.2024 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

9.विदित हो कि श्री सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने के उपरांत उन्हें अनुमान्य सेवान्त लाभ यथा– उनके ग्रूप बीमा एवं सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है तथा समादेश याचिका सं–1003/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.10.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री सिंह सेवा अवधि से संबंधित बकाया/अंतर राशि का भुगतान नियमानुसार इस शर्त के साथ किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर Civil Review No.– 87/2025 के फलाफल से प्रभावित होगा।

उल्लेखनीय है कि श्री सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में दायर अवमाननावाद सं–1217/2024 Dispose हो चुका है तथा Civil Review अद्यतन लंबित है।

10. श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी न्यायालय में दर्ज स्पेशल केस नं०–35/2006 arising out of Vigilance P.S Case No.-38/2006 में माननीय न्यायालय (निगरानी), पटना द्वारा दिनांक–15.04.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री सिंह द्वारा विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि उक्त वाद दायर नहीं होता, वैसी स्थिति में मुझे जो प्रोन्नति हुआ होता एवं तदनुसार वेतन भुगतान हुआ होता, उससे भुगतान हो चुके वेतन की राशि घटाकर, शेष राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अविलंब भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया।

11. श्री सिंह के उक्त दावे के आधार पर भुगतान के बिन्दु पर विधि विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य/परामर्श किया गया, विधि विभाग का परामार्श निम्नवत् निम्नवत् प्राप्त हुआ–

"Acquittal of Sri Awadhesh kumar singh by judgement and order dt 15.04.2023 in Special Case No.-35/2006 is by virtue of benefit of doubt, as prosecution could not satisfactory explain the charge beyond all reasonable doubt.

However, acquittal in a duly instituted criminal prosecution does not give rise to claim of compensation by way of salary of promotional part with interest. The demand so made is not fir for consideration."

12. विधि विभाग से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक–10.05. 2023 को विभाग में समर्पित आवेदन/अभ्यावेदन को विभागीय पत्रांक–811(15), दिनांक–25.07.2023 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इस अस्वीकृत के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–14700/2023 दायर किया गया है, जो अद्यतन लंबित है, के बावजूद श्री सिंह द्वारा वर्तमान में Civil Procedure Code 1908 की धारा–80 के तहत् Consequential Benefit का लाभ प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

13. चूँकि श्री अवधेश कुमार सिंह, सरकारी सेवा से बर्खास्त औषधि निरीक्षक हैं। सेवा से बर्खास्त सरकारी सेवक को GPF एवं GI में संचित राशि के आलावे अन्य सेवान्त लाभ यथा– पेंशन, उपदान आदि नियमानुसार देय नहीं है। श्री सिंह को उनके GPF एवं GI में संचित राशि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं०– 1003/2018 में दिनांक–03.10.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री सिंह के सेवा अवधि से संबंधित बकाया/अंतर राशि भी नियमानुसार सशर्त भुगतान किया जा चुका है। अतएव श्री सिंह द्वारा विभाग में दिनांक–16.07.2024 एवं 19.07.2024 को समर्पित आवेदन/अभ्यावेदन में किये गए अनुरोध को एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

14. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 15/औ०–30–13/2024–338(15A)/स्वा० पटना, दिनांक–15/04/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, दरभंगा–01 एवं 02 सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को उनके वर्तमान पत्ता–संतोषा कॉम्पलेक्स, 305, बंदर बगीचा, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।